रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1044] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2017/चैत्र 23, 1939
No. 1044] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2017

का.आ. 1176(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 2869 (अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किन्हीं व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य का नाम कर्नाटक राज्य में उडुपि जिला के कुंडापुर तालुक में अवस्थित वन्यजीव अभयारण्य के मध्य भाग में अवस्थित कोलूर में प्रसिद्ध मूकांबिका मंदिर के अधिष्ठाता "मूकांबिका देवी" के नाम पर रखा गया है और 13º 42' और 13 º 59' उत्तर अक्षांश और 74º 39' से 74º 50' पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है तथा 394.65 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एएफडी.48.एफडब्लूएल.74 तारीख 22 मई, 1978 को अधिसूचित किया गया था ।

और, मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों तक फैला हुआ है और भू-भाग साधारणत: पहाड़ी और लहरदार है । वन्यजीव अभयारण्य की ऊंचाई जनालेने आरएफ के पास इदुर में 50 मीटर औसत समुद्र स्तर से अधिक से लेकर कुड्डाचादरी में 1343 मीटर औसत समुद्र स्तर से अधिक है । मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य में वर्षा का वितरण असमान है, परंतु यह दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारी वर्षा प्राप्त करता है और वार्षिक औसत वृष्टिपात 6000 मिलीमीटर के आसपास है ।

और, मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य का उपर्युक्त भू-भाग, ऊंचाई और वर्षा वितरण, वन के प्रकार फुटहिल्स के निचली ऊंचाई पर आर्द्र पतझड़ी वन से मध्य ऊंचाई पर पश्चिम तटीय अर्द्ध सदाबाहरी वन और पश्चिम तटीय उष्ण सदाबाहरी वन से शोला ग्रासलैंड तक अधिक ऊंचाई पर है । इस प्रकार मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख वन के प्रकार पश्चिम तटीय ऊष्ण सदाबाहरी वन (1ए/सी4), पश्चिम तटीय अर्द्ध सदाबाहरी वन (2ए/सी2), दक्षिणी गौण आर्द्र मिश्रित पतझड़ी वन (3बी/सी2/2एस1) और शुष्क घास भूमि (5डीएस4) है ।

और, मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य की मुख्य जीवजंतु प्रजातियां चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण, भारतीय गौर, मुंजक, पिसूरी, जंगली सूअर, भारतीय साही (शाकाहारी प्रजातियां) इत्यादि हैं । मांसाहारी प्रजातियों के अंतर्गत बाघ, तेंदुआ, काला तेंदुआ, जंगली कुत्ता, धारीदार लकड़बग्घा और सियार है । प्राइमेट्स के अंतर्गत संकटापन्न सिंह पुच्छ लघु पुच्छ वानर, लघु पुच्छ वानर और सामान्य लंगूर इत्यादि हैं । अन्य जीवजंतु संबंधी प्रजातियों के अंतर्गत रीछ, मालावार जांइट गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, लैंड मानीटर छिपकली, केन कछुआ (दुर्लभ प्रजातियां, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं) । सुमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के साथ-साथ मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य मालाबार सिवैट कैट के लिए शेष बचे हुए वनों और पर्यावास में से एक रहता है, जो केरला और कर्नाटक के कुछ स्थानों तक स्थानिकत: प्रतिबंधित समझा जाता है और आईयूसीएन द्वारा गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियां घोषित की गई हैं । कुछ सरीसृपों के अंतर्गत किंगकोबरा, राक पायथन, इंडियन कोबरा बैंबू पिट वाइपर इत्यादि हैं । पक्षी जीवजंतु संबंधी प्रजातियों के अंतर्गत ग्रेट हार्नबिल, मालाबार ग्रे हार्नबिल, मालाबार पाइड हार्नबिल, मालाबार लार्क, मालाबार ट्रोगोन इत्यादि हैं ।

और, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) के अनुसार कुछ प्रजातियां जो गंभीर लुप्तप्राय, कमजोर, खतरे के पास की श्रेणी में आती हैं, मूकंबिका वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं स्तनपायी जैसे *पैंथेरा टाइगरिस* (बाघ), *पैंथेरा पार्डस* (सामान्य तेंदुआ), *प्रोन्युलस रुबिइनिसस* (रस्टी चित्तीदार बिल्ली), *वीवर्रा सिवेटिना* (मालाबार गंध बिलाव), *मेलुरसस अरसिनस* (रीछ), *एलीफस मैक्सिमस* (एशियाई हाथी), *बोस गौरास* (गौर), *सर्विस यूनीकलर* (सांभर), *पेटिनोमीज़ यूएसकोकैपिलस* (लघु त्रावणकोर उड़ान गिलहरी), *रतफा इंडिका* (इंडियन जियंट गिलहरी), *मैनीस क्रासिकाउडाटा* (भारतीय साल), *प्लैटैंथोमिस लासीरुस* (मालाबार स्पिनी डोरमॉज़), *लुट्रा लुट्रा* (सामान्य ऊदबिलाव), *एनोक्सी सीनेरिया* (पंजा रहित ऊदबिलाव) पक्षी जैसे *एन्थ्रेकोसोरोस कोरोनाटस* (मालाबार चितकबरी धनेश), *बुसेरस बिकोर्निस* (ग्रेट धनेश), *इरथ्योफोगा इचिथ्येटस* (ग्रे मछली गरूड़), *अनिंगा मेलेनोगास्टर* (बांकर), *सिकोनिया एपिस्कोपस* (वूली नेक्ड सारस), *फिसेड्डला निगरोरुफा* (ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाईकचर) *इयूमेस एलबिकुडाटा* (निलगिरी फ्लाई कैचर) **सरीसृप जैसे** *इंडोटेस्टुडो वननेनी* (कछुए), *जियोकेलोन एलिगेंस* (भारतीय फ्लैप शेल कछुए), *क्रोकॉडायलस पलुसट्रीस* (मगरमच्छ), *नाजा नाजा* (स्पेक्साल्लेड कोबरा), *ओफिओफैगस हन्ना* (किंग कोबरा) **उभयचरों जैसे** *एन्स्सोनिया ओरनेट* (मालाबार टॉरेंट मेंढक), *बुफो बेडडोमी* (बेडडोमी मेंढक), *रामानेला मोन्टाना* (जेरडन की संकीर्ण-मेंढक मेंढक), *इंदिराना लेइथि* (लिथ का छलांग वाला मेंढक या माथेरान भारतीय मेंढक), *लिम्नोनेक्ट्स लिमोचाइर्स* (भारतीय क्रिकेट मेंढक), *मैरिकियलस सैक्सिकॉलस* (मालाबार उष्णकटिबंधीय मेंढक), *निकीबेट्राचस डेक्कनेंसिस* (डेक्कन रात मेंढक, डेक्कन झुर्रीदार मेंढक), *निक्टीबेट्राचस मेजर* (मालाबार रात का मेंढक), *निक्टीबाट्राक्रस सैंटी पलुस्ट्रिस* (कूर्ग रात मेंढक या पवित्र दलहन झुर्रीदार मेंढक), *राना औरंतियाका* (त्रिवेन्द्रम मेंढक, आम लकड़ी मेंढक) , *राना टेम्पोरैलिस* (ब्रोन्ज़्ड मेंढक या गुंठर के स्वर्ण-समर्थित मेंढक), *टॉपोटेमा रूफस्सेन्स* (रूफ्सेंट बुरोइंग मेंढक), **तितली जैसे** *आइडिया मलबरिका* (मालाबार पेड़ अप्सरा) **जैसे फूलों की प्रजातियां** *कैलोफीलुम एपेटल्यूम* (होली होन), *सिनामोमम सुल्फुरटम* (दालचिनी), *डायोस्पिअर्स कैंडोलेना* (करी मारा), *होपेया कैरेनेंसिस* (मलाई हाइगा),

होपा परविफ्लोरा (किरल बोगी), *होपिया पोंगा* (डोडडेले बोगी), *वांडा स्पथुलता* (ऑर्किड), *गार्सिनिया इंडिका* (कोकुम), *हाइडनोकार्पस पेंटेंड्रा* (कलमोगरा येन मोरा, मिरोलहाकाई, सुरती), *नामे एन्ट्यूनेट* (राक्तमारा) आदि है ।

और, मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से चारों ओर के विस्तारित क्षेत्र को मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

(1) **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में उडुपि जिले के कुंडापुर ताल्लुक में स्थित है । पारिस्थितिक संवेदी जोन अभयारण्य की सीमा 0 (शार्वथी घाटी वन्यजीव अभयारण्य और सोमेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी भाग पर जुड़ती है और मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य का दक्षिणी भाग परिणामस्वरूप, यह भाग पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रस्तावित नहीं है) से 10.80 किलोमीटर के विस्तार तक 319.86 वर्ग किलोमीटर (संलग्नों को छोड़कर) क्षेत्र पर फैला हुआ है । ऐसे जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** पर है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 41 ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ और आरक्षित वनों के विवरण **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ अक्षांश और देशान्तर मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध हैं ।

(4) पारिस्थतिक संवेदी जोन के साथ-साथ अभयारण्य पर मुख्य स्थल (जीपीएस बिंदु) **उपाबंध IV** क के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना-

1. राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी । उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्यांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी ।

3. पर्यावरणीय और पारिस्थितिक बातों को इसमें समकलित करने के लिए आंचलिक महायोजना सभी संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार कि जाएगी, अर्थात् :--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

4. आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों, पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया जाए और उक्त आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का सुधार करेगी ।

5. आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

6. आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का मानचित्रों के साथ अभ्यकंन करेगी । योजना को मानचित्रों में दिए गए विद्यमान तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग सुविधाओं के विवरण द्वारा समर्थित किया जाएगा।

7. आंचलिक महायोजना स्थानीय पारिस्थितकीय जोन में विकास को विनियिमत करेगी जिससे समुदायों की जीवकोपार्जन की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास का सुनिश्चय किया जा सके ।

8. आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

9. आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के से और यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, अनुज्ञात किया जा सकेगा, जैसे:-

i. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

ii. बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

iii. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

iv. कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो ग्रह वास; और

v. संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

(ख) अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

3. **पर्यटन/ पारिस्थितिक-पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) होटलों और रिर्सोटों का नया संनिर्माण वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे, पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिर्सोटों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों के तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

5. **मानव निर्मित विरासत स्थल-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

6. **ध्वनि प्रदूषण** – पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

7. **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मानक और विनियम कार्यान्वित करेगा ।

8. **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा तथा पर्यावरण की सरंक्षण के लिए मानक ओर अधिक कठोर बनाये जा सकते हैं।

9. **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

11. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

12. **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

13. **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

14. **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

15. **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

16. **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो । इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

17. **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

18. अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो ।
(3)	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(6)	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई

	स्थापना और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है । औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचारित के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा का अधिकतर प्रतिषिद्ध है ।
(7)	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(8)	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(9)	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(10)	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(11)	पवन मिलों का निर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
(12)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं । परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

		(iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो ग्रह वास; और (v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
(14)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो । इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।
(15)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
(16)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
(18)	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
(19)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
(20)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

	गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(23)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा । अन्यथा लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
(25)	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
(27)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(29)	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(30)	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(31)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
(32)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(33)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(35)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(36)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
(37)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(38)	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(39)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(40)	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

	बहाली ।	
(41)	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति-

(1) केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम,1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) इस प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी तीन वर्ष की अवधि के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

i. क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर - अध्यक्ष ;

ii. कर्नाटक सरकार के पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;

iii. कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;

iv. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य ;

v. पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

vi. पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

vii. उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, शिमोगा – सदस्य ;

viii. उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, उडुपी – सदस्य ;

ix. सागर निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य - सदस्य ;

x. थिरथाहाली निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य - सदस्य ;

xi. बिन्दूर निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य - सदस्य ;

xii. कुन्डापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य - सदस्य ;

xiii. राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य ;

xiv. उप वन संरक्षक, कुदरीमुख वन्यजीव प्रभाग करकाला - सदस्य-सचिव ।

टिप्पण: (कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा, अन्य बातों के साथ, सुसंगत अनुमोदन अभिप्राप्त करते हुए, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष, विधान सभा, कर्नाटक से अनुज्ञा है, यदि अपेक्षित हो, के अध्यधीन)

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में

वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/142/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन

उत्तर : सीमा एडमलेगुडा से प्रारंभ होते हुए हल्लीमरडिबारे आर एफ सीमा रेखा से गुजरती हुई दक्षिण पूर्व की ओर जाती है और मडडीबरगुडा पहुंचती है । इसके अतिरिक्त सीमा पूर्व की ओर गुजरते हुए मैजनीवैली आर एफ की सीमारेखा की ओर जाती है और करनी आर एफ ट्राइजंक्शन बिंदु पर पहुंचती है । चूंकि समीपवर्ती क्षेत्र शरावती वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है, सीमा रेखा मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती है और इस प्रकार पारिस्थतिक संवेदी जोन के लिए

अतिरिक्त क्षेत्र पर विचार नहीं किया गया है इस प्रकार पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा रेखा करनी आर एफ की सीमारेखा को उत्तर में काटती हुई गुजरती है तथा कनगोड के पास स्थानीय क्षेत्र में पहुंचती है । इससे आगे सीमारेखा उत्तरपूर्व की ओर काटते हुए गुजरती है और बरलाहोल पहुंचती है । तत्पश्चात् रेखा नागोडी होल के साथ-साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है । हुलगरगुडा के समीप हुनारमन्य आर एफ की आर एफ सीमा के स्थानीय क्षेत्र में पहुंचती है । इससे आगे रेखा हुनारमन्य आर एफ की आंतरिक सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर तिरछी गुजरती है और केनामक्कीगुडडा के समीप स्थानीय क्षेत्र में पहुंचती है ।

पूर्व : रेखा दक्षिण की ओर तिरछी गुजरती है और मरकटीके होल पहुंचती है । इससे आगे रेखा नदी के साथ-साथ तिरछी गुजरती है । तत्पश्चात् रेखा पूर्व की ओर तिरछी गुजरती है और कटीनाहोल नामक स्थानीय क्षेत्र में पहुंचती है । इससे आगे रेखा पूर्व की ओर नाला के साथ तिरछी गुजरती है और मटठीकाए आर एफ सीमा पहुंचती है । बाद में, रेखा मटठीकाए आर एफ के साथ पूर्व की ओर तिरछी गुजरती है और तब रेखा दक्षिण पूर्व की ओर गुजरते हुए आर एफ सीमा के साथ-साथ कब्बिनहोल को पार करती है और कुंडगल के समीप स्थानीय क्षेत्र में पहुंचती है । इससे आगे रेखा दक्षिण पूर्व की ओर तिरछी गुजरती है और बिस स्टेट की ओर राज्यवन सीमा पहुंचती है और बिस स्टेट की ओर राज्यवन सीमा के साथ तिरछी गुजरती हुई करीमने के समीप नाला पहुंचती है । इससे आगे रेखा दक्षिण की ओर नाला के साथ तिरछी गुजरती है और संपीगोडी गांव सड़क पहुंचती है । इससे आगे रेखा नाला के साथ दक्षिण पूर्व की ओर तिरछी गुजरती है और किलगारो के समीप स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है । इससे आगे रेखा दक्षिण पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती हुई मस्तीकटे सड़क पहुंचती है । इससे आगे रेखा दक्षिण पूर्व की ओर तिरछी गुजरती हुई मनीबेल राज्यवन सीमा को स्पर्श करती है । उसके बाद रेखा ट्राई जंक्शन बिंदु पर पहुंचती है और उससे आगे रेखा दक्षिण पश्चिम की ओर तिरछी गुजरते हुए कंचीकल्लाबी प्रतापों के करीब स्पर्श करती है ।

दक्षिण : इससे आगे रेखा वराही आर एफ सीमा के साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और मथकलगुडे आर एफ पहुंचती है । इससे आगे रेखा दक्षिण पश्चिम की ओर मथकलगुडे आर एफ के साथ तिरछी गुजरती है और वराही नदी पहुंचती है । चूंकि निकटवर्ती क्षेत्र सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है और इस प्रकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के अतिरिक्त क्षेत्र पर विचार नहीं किया गया है । इससे आगे रेखा वराही नदी के साथ दक्षिण की ओर तिरछी गुजरती है और हरकेबल के समीप संपूर्ण स्थान पहुंचती है । इससे आगे रेखा उत्तर पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और सूरालडवी आर एफ की सीमा पहुंचती है । तत्पश्चात् रेखा उत्तर की ओर सूरालडवी आर एफ के साथ गुजरती है और हरकेबेलु के समीप नाला पहुंचती है । इससे आगे रेखा उत्तरपूर्व की ओर नाला के साथ तिरछी गुजरती है और डोडिनमनी की आर एफ सीमा पहुंचती है । इससे आगे रेखा डोडिनमनी की आरएफ सीमा के साथ तिरछी गुजरती है और करेगडडे स्थानीय क्षेत्र तत्पश्चात् रेखा करगडडे से बडमने सड़क के साथ गुजरती है और आगे उत्तर की ओर तिरछी गुजरती हुई कुब्जा नदी को स्पर्श करती है । इसके आगे रेखा पश्चिम की ओर कुब्जा नदी के साथ –साथ तिरछी गुजरती है और बेलवानों के समीप स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है । इससे आगे रेखा नाला के साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और अजरी निरलकटटे सड़क पहुंचती है । इससे आगे रेखा अजरी निरलकटटे सड़क के साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और कमरड्डी होल आर एफ की सीमा पर पहुंचती है । इससे आगे रेखा पश्चिम की ओर सड़क को काटते हुए गुजरती है और मोविंगगुली आरएफ की सीमा में पहुंचती है ।

पश्चिम : रेखा उत्तर की ओर मोविंगगुली आरएफ के साथ तिरछी गुजरती है और चक्र नदी से आगे गुजरती है । इससे आगे रेखा वंडसे कसनकटे पैदलपथ के साथ तिरछी गुजरती है और कसनकट्टे आर एफ सीमा पहुंचती है । तत्पश्चात् रेखा कसनकट्टे आर एफ सीमा के साथ-साथ तिरछी गुजरती है और

ब्रह्महेरी स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है । इससे आगे रेखा ब्रह्महेरी अलूरु गांव सड़क के साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है । तत्पश्चात् रेखा नाला के साथ उत्तर की ओर तिरछी गुजरती है और हैरुर आर एफ पहुंचती है । तत्पश्चात् रेखा हैरुर आर एफ सीमा के साथ साथ तिरछी गुजरती है और कपड्डी स्थानीय क्षेत्र के समीप येलूरमाने सड़क को स्पर्श करती है । इससे आगे रेखा येलूरमाने सड़क के साथ तिरछी गुजरती है और येलूर के समीप कोलूर बिंदर सड़क को स्पर्श करती है । तत्पश्चात् रेखा कोलूर बिंदर के साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और तब आरेशीरुर – कोडेलकेरी गांव सड़क के साथ तिरछी गुजरती है और गोलीहोल स्थानीय क्षेत्र को स्पर्श करती है । इसके आगे रेखा नालारिचिस स्थानीय क्षेत्र येलजित की ओर गुजरती है । इसके आगे रेखा येलजित-हडगाकिरे गांव सड़क के साथ पश्चिम की ओर गुजरते हुए गुरुवनकोटे आर एफ सीमा को स्पर्श करती है । इसके आगे रेखा गुरुवनकोटे आर एफ सीमा के साथ तिरछी गुजरती है और होसेरी स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है । इसके आगे रेखा उत्तर की ओर तिरछी गुजरती है और कोलिकन पहुंचती है । तत्पश्चात् रेखा हुलुकडगे –कोलिकन गांव सड़क के साथ-साथ तिरछी गुजरती है और हेजालू स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है । इससे आगे रेखा हुलकागड़े-गंगानाडु सड़क के साथ उत्तर पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और नगरमक्की स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है । इसके आगे रेखा सड़क के साथ उत्तर की ओर तिरछी गुजरती है और कुलानके स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है । इसके बाद रेखा थुडडुहोल के साथ पश्चिम की ओर तिरछी गुजरती है और किस्मती स्थानीय क्षेत्र पहुंचती है और तब रेखा नाला के साथ उत्तर की ओर तिरछी गुजरती हुई आरंभिक बिंदु पर पहुंचती है ।

उपाबंध II

मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्रामों के नाम	जिला	तालुक	क्षेत्र हेक्टे में	अक्षांश			देशांतर		
					डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	करनी	शिमोगा	सागर	23.65	74	46	26.95	13	55	4.05
1क	कोदानवल्ली	शिमोगा	सागर	477.80	74	47	8.05	13	55	14.70
2	मराती	शिमोगा	सागर	681.95	74	48	52.89	13	54	51.13
3	कोटेशिपुर	शिमोगा	होसनगारा	233.63	74	52	2.86	13	54	49.63
4	नागोदी	शिमोगा	होसनगारा	409.70	74	52	23.53	13	54	27.30
4क	मंजागलाले	शिमोगा	होसनगारा	590.23	74	54	2.43	13	53	43.94
5	कट्टीनाहोल	शिमोगा	होसनगारा	614.42	74	55	10.25	13	52	13.51
6	मट्टीकाई	शिमोगा	होसनगारा	407.73	74	57	19.37	13	51	40.38
6क	होसर	शिमोगा	होसनगारा	45.50	74	57	31.61	13	52	27.18
7	ब्रह्मनवादा	शिमोगा	होसनगारा	309.19	74	58	37.04	13	49	19.40
8	किलनदुर जंगल	शिमोगा	होसनगारा	155.54	74	58	32.68	13	48	24.41
9	बायसे	शिमोगा	होसनगारा	57.73	74	58	39.31	13	49	29.10
10	मलाली	शिमोगा	होसनगारा	318.98	74	59	29.61	13	47	52.13
11	करिमाने	शिमोगा	होसनगारा	800.06	75	0	11.37	13	45	49.14
12	खैरुगुण्डा	शिमोगा	होसनगारा	422.73	75	1	3.66	13	44	36.66

13	नीदागोदु	शिमोगा	होसनगारा	272.83	75	1	2.75	13	43	27.30
14	होसानगादी	उदुपी	कुन्दापुरा	1036.50	74	57	21.58	13	41	21.50
15	मचाट्टू	उदुपी	कुन्दापुरा	95.78	74	57	50.87	13	40	2.82
16	उल्लुरु	उदुपी	कुन्दापुरा	232.79	74	55	50.28	13	38	33.42
17	सिद्दापुर	उदुपी	कुन्दापुरा	530.75	74	55	37.69	13	39	57.39
18	येदामोगे	उदुपी	कुन्दापुरा	1109.20	74	56	48.61	13	43	33.27
19	हलीहोल	उदुपी	कुन्दापुरा	28.29	74	56	41.55	13	44	22.46
20	बेल्लाल	उदुपी	कुन्दापुरा	468.38	74	53	51.39	13	42	50.62
21	अजरी	उदुपी	कुन्दापुरा	1031.77	74	52	30.38	13	41	47.03
22	कोदलादी	उदुपी	कुन्दापुरा	315.91	74	49	29.56	13	41	11.40
23	करकुन्जे	उदुपी	कुन्दापुरा	613.38	74	47	3.06	13	41	40.59
24	छित्तुर	उदुपी	कुन्दापुरा	21.06	74	46	56.66	13	42	1.45
25	वानदसे	उदुपी	कुन्दापुरा	210.07	74	45	17.63	13	42	28.87
26	नुजादी	उदुपी	कुन्दापुरा	393.34	74	44	2.58	13	43	34.15
27	हरकुर	उदुपी	कुन्दापुरा	313.91	74	42	39.90	13	44	10.52
28	आलुरु	उदुपी	कुन्दापुरा	446.60	74	44	10.77	13	45	5.67
29	कलतोदु	उदुपी	कुन्दापुरा	662.84	74	44	28.73	13	47	8.81
29क	नवुनदा	उदुपी	कुन्दापुरा	6.39	74	43	21.67	13	46	30.14
30	गोलीहोले	उदुपी	कुन्दापुरा	2121.76	74	45	42.97	13	49	6.22
31	जदकाल	उदुपी	कुन्दापुरा	200.78	74	48	12.81	13	49	15.76
32	कोल्लुर	उदुपी	कुन्दापुरा	10.08	74	48	4.09	13	49	30.42
33	येलाजिता	उदुपी	कुन्दापुरा	871.87	74	42	15.51	13	51	34.00
34	मुदीनागाद्दे	उदुपी	कुन्दापुरा	144.86	74	41	20.30	13	53	32.20
35	नुकियादी	उदुपी	कुन्दापुरा	8.71	74	40	54.39	13	53	46.24
36	केरेतुर	उदुपी	कुन्दापुरा	1041.76	74	40	36.02	13	55	18.26
37	होसुर	उदुपी	कुन्दापुरा	591.25	74	39	28.21	13	56	47.81
				18329.69						

मुकांबिका वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले आरक्षित वनों की सूची

मानचित्र आई डी	आरक्षित वनों के नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में	जी. ओ / अधिसूचना
क	कुदारुर आरक्षित वन	307.61	
ख	होन्नार मगने आरक्षित वन	682.55	सं. 354 12.08.1989
ग	मत्तीकल आरक्षित वन	1111.68	ए एच एफ एफ 162 एफ ए एफ 88/13.09.1994
घ	आरक्षित वन	191.28	
ङ	आरक्षित वन	26.77	
ङ	वरही राज्य वन	475.51	आर 5638-41 एफ टी 39-16-4/05.12.1916
च	डोडीनामाने आरक्षित वन	1209.05	जी. ओ. सं. 287 दिनांक 06.12.1899
छ	डोत्तीनाबेरु आरक्षित वन	164.95	जी. ओ. सं. 445 दिनांक 13.08.1998
ज	सुरालावड़ी आरक्षित वन	240.89	जी. ओ. सं. 1020 दिनांक 06.12.1987
झ	मवीनागुल्ली आरक्षित वन	416.31	जी. ओ. सं. 508 दिनांक 01.09.1898
ञ	कमारादीहोले आरक्षित वन	283.14	जी. ओ. सं. 623 दिनांक 27.10.1898
ट	कसानकाई आरक्षित वन	98.88	जी. ओ. सं. 1181 दिनांक 28.11.1892
ठ	मुदारीगुडे आरक्षित वन	139.46	जी. ओ. सं. 522 दिनांक 10.10.1896
ड	हरकुरु आरक्षित वन	342.56	जी. ओ. सं. 14 दिनांक 10.01.1893
ढ	गुण्दाबेर पारे आरक्षित वन	1130.00	274 आरईवी, दिनांक : 05-04-1893
ण	हुलिमिशे आरक्षित वन	739.24	जी. ओ. सं. 490 दिनांक 29.08.1896
त	गुरुवानकोटे आरक्षित वन	618.34	जी. ओ. सं. 3356 दिनांक 17.11.1913
थ	कडीके आरक्षित वन	629.60	जी. ओ. सं. 230 दिनांक 04.06.1896
द	कुरानदुर आरक्षित वन	4849.80	
		13657.62	

उपाबंध III

मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

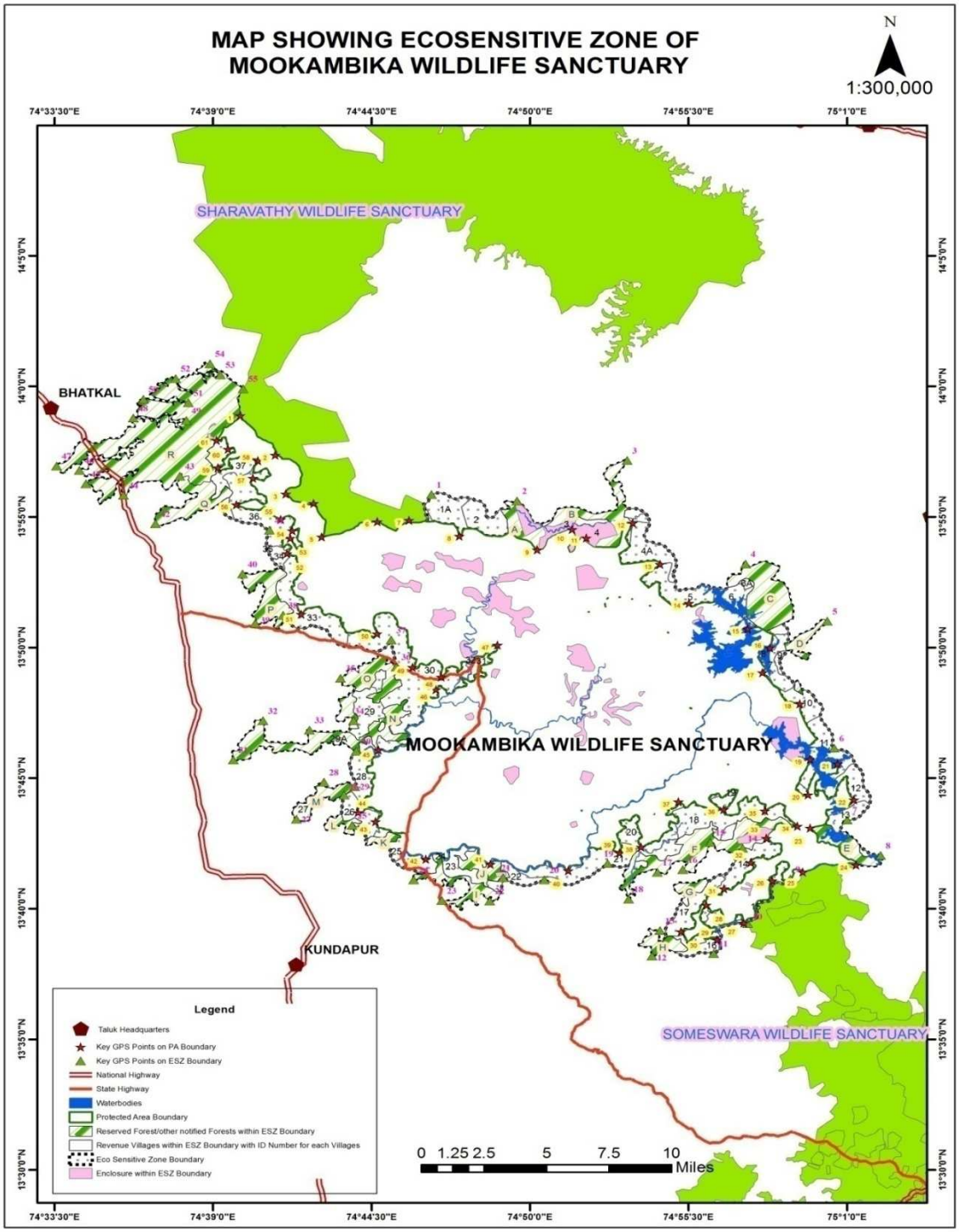

उपाबंध-IV

मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर मुख्य बिंदुओं के भू निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

	देशांतर			अक्षांश		
मानचित्र आई डी	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	74	46	35.52	13	55	51.12
2	74	49	33.78	13	55	36.59
3	74	53	22.85	13	57	9.58
4	74	57	29.28	13	53	11.92
5	75	0	19.88	13	51	0.17
6	75	0	34.03	13	46	8.54
7	75	1	1.38	13	43	23.64
8	75	2	10.51	13	42	1.74
9	74	59	2.52	13	41	7.66
10	74	57	33.60	13	39	25.31
11	74	56	22.95	13	38	16.63
12	74	54	14.86	13	38	11.27
13	74	54	31.38	13	39	9.03
14	74	57	23.40	13	42	18.61
15	74	56	15.92	13	42	31.73
16	74	55	19.05	13	41	29.11
17	74	54	25.56	13	41	22.84
18	74	53	25.78	13	40	21.66
19	74	52	42.13	13	41	43.21
20	74	50	30.00	13	41	5.67
21	74	49	4.66	13	41	10.89
22	74	48	36.93	13	40	17.20
23	74	46	56.61	13	40	18.09
24	74	45	58.36	13	41	6.14
25	74	43	50.04	13	43	10.75
26	74	43	33.42	13	44	20.53
27	74	41	54.18	13	43	25.18
28	74	42	51.18	13	44	50.27
29	74	43	55.32	13	44	39.87

30	74	43	58.80	13	46	1.97
31	74	39	42.55	13	45	41.59
32	74	40	44.73	13	47	11.29
33	74	42	21.32	13	46	50.09
34	74	43	52.98	13	47	11.50
35	74	43	25.79	13	48	49.22
36	74	45	22.04	13	49	14.96
37	74	45	11.49	13	50	17.07
38	74	41	26.45	13	51	13.69
39	74	40	28.62	13	50	55.15
40	74	40	1.82	13	52	48.62
41	74	40	58.28	13	54	29.32
42	74	37	0.80	13	54	43.90
43	74	37	51.15	13	56	33.45
44	74	35	54.17	13	55	49.67
45	74	34	35.72	13	56	15.84
46	74	34	22.11	13	56	46.59
47	74	33	34.39	13	56	56.90
48	74	36	14.59	13	58	46.85
49	74	38	4.90	13	58	41.37
50	74	36	35.39	13	59	30.54
51	74	38	8.85	13	59	22.02
52	74	37	42.70	14	0	17.82
53	74	39	15.51	14	0	26.40
54	74	38	53.78	14	0	51.78
55	74	40	3.20	13	59	54.34

मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर मुख्य बिंदुओं के भू निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

	देशांतर			अक्षांश		
मानचित्र आई डी	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	74	39	56.70	13	58	53.09
2	74	41	9.86	13	57	22.40
3	74	41	31.77	13	55	53.18

4	74	42	30.13	13	55	31.53
5	74	42	46.72	13	54	14.54
6	74	44	42.55	13	54	49.42
7	74	45	48.48	13	54	52.68
8	74	47	33.49	13	54	16.52
9	74	50	15.47	13	53	44.80
10	74	51	28.42	13	54	31.67
11	74	51	57.56	13	54	11.78
12	74	53	34.89	13	54	46.74
13	74	54	31.25	13	53	11.38
14	74	55	31.62	13	51	42.46
15	74	57	33.87	13	50	43.11
16	74	58	19.96	13	49	58.97
17	74	58	4.52	13	49	2.53
18	74	59	22.39	13	47	51.20
19	74	59	43.81	13	45	43.26
20	74	59	39.45	13	44	21.95
21	75	0	41.41	13	45	33.03
22	75	1	15.28	13	44	10.25
23	74	59	44.03	13	43	5.20
24	75	1	19.34	13	41	40.27
25	74	59	28.60	13	41	24.17
26	74	58	25.13	13	41	4.50
27	74	57	25.66	13	39	26.93
28	74	56	7.77	13	40	8.38
29	74	56	30.27	13	38	48.37
30	74	55	14.88	13	39	7.50
31	74	56	44.65	13	40	46.12
32	74	57	40.21	13	41	45.72
33	74	58	12.49	13	42	42.28
34	74	59	17.77	13	43	9.61
35	74	58	9.45	13	43	44.69
36	74	56	43.81	13	43	48.34

37	74	55	9.48	13	44	5.86
38	74	53	52.06	13	42	21.56
39	74	53	6.62	13	42	8.17
40	74	51	20.39	13	41	27.23
41	74	48	38.05	13	41	42.21
42	74	46	23.41	13	41	54.03
43	74	44	38.68	13	43	20.54
44	74	44	2.24	13	43	41.02
45	74	44	44.78	13	46	4.88
46	74	46	44.49	13	48	23.74
47	74	48	52.59	13	50	5.97
48	74	46	55.64	13	48	52.71
49	74	45	56.04	13	49	14.67
50	74	44	41.84	13	50	31.88
51	74	42	4.26	13	51	17.10
52	74	41	34.45	13	53	36.04
53	74	41	41.32	13	54	11.29
54	74	41	45.52	13	54	28.45
55	74	41	21.42	13	54	54.60
56	74	39	49.17	13	55	28.67
57	74	40	23.71	13	56	29.36
58	74	40	34.14	13	57	9.71
59	74	39	10.64	13	56	53.58
60	74	39	31.90	13	57	36.49
61	74	39	7.65	13	57	56.71

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2017

S.O. 1176(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2869 (E), dated the 19th October, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Mookambika Wildlife Sanctuary has been named after goddess "Mookambika" the presiding deity of the famous Mookambika temple at Kollur located in the heart of the Wildlife Sanctuary and situated in Kundapur Taluk of Udupi district in the State of Karnataka and lies between 13^0 42' and 13^0 59' North Latitude and 74^0 39' to 74^0 50' East Longitude and spread over an area of 394.65 sq. km. and notified vide Government of Karnataka Notification number AFD.48.FWL.74 dated the 22nd May, 1978;

AND WHEREAS, the Mookambika Wildlife Sanctuary spreads across the Western slopes of Western Ghats and the rain is generally hilly and undulating and the altitude of the Wildlife Sanctuary varies from 50 meters above Mean Sea Level at Idur near Jannalane Reserved Forest to 1343 meters above Mean Sea Level at Kodachadri and the distribution of rainfall at Mookambika Wildlife Sanctuary is very uneven, but it receives torrential downpour from the South-West monsoon and the annual average precipitation is close to 6000 millimetre;

AND WHEREAS, with the above mentioned terrain, elevation and rainfall distribution, the forest types of Mookambika Wildlife Sanctuary varies from Moist Deciduous Forest at the lower altitude of foot hills to West Coast Semi-Evergreen forest and West Coast Tropical Evergreen Forest at mid-altitude to Shola Grass land at higher altitude and thus the major forest types of the Mookambika Wildlife Sanctuary is West Coast Tropical Evergreen Forest (1A/C4), West Coast Semi-Evergreen forest (2A/C2), Southern Secondary Moist Mixed Deciduous Forest (3B/C2/2S1) and Dry Grass lands(5 DS 4);

AND WHEREAS, major faunal species of the Mookambika Wildlife Sanctuary is Spotted Deer, Sambar Deer, Indian Guar, Barking Deer, Mouse Deer, Wild Pig, Indian Porcupine (herbivore species) etc. Carnivore includes Tiger, Leopard, Black Panther, Wild Dog, Striped, Hyena and Jackal. Primates include endangered Lion-Tail Macaque, Bonnet Macaque and Common Langur etc. Other faunal species includes Sloth Bear, Malabar Giant Squirrel, Flying Squirrel, Land Monitor Lizard, Cane Turtle (rare species, on the verge of extinction). Along with Someshwara Wildlife Sanctuary, Mookambika Wildlife Sanctuary also remains one of the last remaining forest or habitat for Malabar Civet Cat, which is considered as endemic restricted to few places of Kerala and Karnataka and declared as Critically Endangered species by International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Some of the reptiles include King Cobra, Rock Python, Indian Cobra, Bamboo Pit Viper etc. Avifaunal species includes Great Hornbill, Malabar Grey Hornbill, Malabar Pied Hornbill, Malabar Lark, Malabar Trogon etc;

AND WHEREAS, as per the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) some of the species which fall under category of Critically Endangered, Endangered, Vulnerable, near threatened are found in Mookambika Wildlife Sanctuary includes **Mammals such as***Panthera tigris (*Tiger), *Panthera pardus*

*(*Common leopard), *Prionailurus rubiginosus (*Rusty spotted cat), *Viverra civettina (*Malabar civet*), Melursus ursinus (*Sloth Bear*), Elephas maximus (*Asian Elephant*), Bos gaurus (*Gaur*), Cervus unicolor (*Sambar*), Petinomys uscocapillus (*Small Travancore flying Squirrel*), Ratufa indica (*Indian Giant squirrel*), Manis Crassicaudata (*Indian Pangolin), *Platacanthomys lasiurus (*Malabar Spiny Dormouse*), Lutra lutra (*Common otter*), Anoxy Cinerea (*Claw less Otter)***Birds such as***Anthracoceros coronaatus (*Malabar pied Hornbill*), Buceros bicornis (*Great Hornbill*), Ichthyophaga ichthyaetus (*Gray headed Fish Eagle*), Anhinga melanogaster (*Darter*), Ciconia episcopus (*Woolly –necked Stork*), Ficedula nigrorufa (*Black and Orange Flycatcher*), Eumyias albicaudata (*Nilgiri fly catcher)***reptiles such as***Indotestudo foresteni (*tortoise*), Geochelone elegans (*Indian flap shell turtle*), Crocodylus palustris (*Crocodiles*), Naja Naja (*Spectacled cobra*), Ophiophagus Hannah (*King cobra*)* **Amphibians such as***Ansonia ornate (*Malabar Torrent Tode*), Bufo beddomii (*Beddomi's Tode*), Ramanella montana (*Jerdon's Narrow-mouthed Frog*), Indirana leithii (*Leith's leaping frog or Matheran Indian frog*), Limnonectes limochaIrs (* Indian cricket frog*), Micrixalus saxicolus (*Malabar Tropical Frog*), Nyctibatrachus deccanensis (*Deccan night frog, Deccan wrinkled frog*), Nyctibatrachus major (*Malabar night frog*), Nyctibatrachus sancti palustris (*Coorg night frog or sacred swamp wrinkled frog*), Rana aurantiaca (*Trivandrum frog, the common wood frog*), Rana temporalis (*bronzed frog or Gunther's golden-backed frog*), Tomoptema rufescens (*Rufescent Burrowing frog*),* **Butterflies such as** Idea malbarica (Malabar tree Nymph) **Floral species such as** *Calophyllum apetalum (*Holi honne*), Cinnamomum sulphuratum (*Dalchini*), Diospyros candollena (*Kari mara*), Hopea canarensis (*Malai haiga*), Hopea parviflora (*Kiral bogi*), Hopea ponga (*Doddele bogi*), Vanda spathulata (*Orchid*), Garcinia indica (*Kokum*), Hydnocarpus pentandra (*Chalmogra yenne mara, Mirolhakai, Surti*), Knema attenuate (*Raktamara*);*

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Mookambika Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of the Mookambika Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Mookambika Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.—

(1) Mookambika Wildlife Sanctuary is situated at Kundapur Taluk of Udupi district in the State of Karnataka and the Eco-sensitive Zone is spread over an area of 319.86 square kilometers (excluding revenue enclosures) with an extent varying from zero (Sharavathi Valley Wildlife Sanctuary and Someshwara Wildlife Sanctuary adjoin on northern side and southern side of the Mookambika Wildlife Sanctuary consequently, no Eco-sensitive Zone has been proposed on these sides) to 10.80 kilometres from the boundary of sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The list of 41 villages falling within the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points and the details of the Reserve Forests are appended as **Annexure-II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure- III.**

(4) The Geo Coordinates of major points on the Eco-sensitive Zone boundary as well as on the sanctuary boundary are appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;

(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. **Landuse.- (a)** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as.-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-tourism.-**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Kurdapur Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;
the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b)No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b)No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016,.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management

Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016,.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-
(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco-sensitive Zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Erection of wind mills.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:- (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per classification done by the Central Pollution Control Board in the year 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.

		(b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in the year 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the relevant Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
21.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
24.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
26.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
27.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
30.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws
31.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.

C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i) Regional Commissioner, Mysore – Chairman;
(ii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka -Member;
(iii) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka - Member;
(iv) Representative of Karnataka State Pollution Control Board - Member;
(v) A representative of NGO working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years in each case -Member;
(vi) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three years in each case - Member;
(vii) Deputy Commissioner or his representative, Shivamogga – Member;
(viii) Deputy Commissioner or his representative, Udupi –Member;
(ix) Member from Legislative assembly from Sagara constituency – Member;
(x) Member from Legislative assembly from Thirthahalli constituency – Member;
(xi) Member from Legislative assembly from Byndoor constituency – Member;
(xii) Member from Legislative assembly from Kundapur constituency – Member;
(xiii) Member, State Biodiversity Board -Member
(xiv) The Deputy Conservator of Forests, Kudremukh Wildlife Division, Karkala - Member Secretary.

Note: Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required.

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V.**

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/142/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary description of the Eco-sensitive Zone around Mookambika Wildlife Sanctuary.

North :	The Eco-Sensitive Zone boundary starts from the Edamale gudda runs along the Hulmurdibare Reserved Forest boundary line towards South-East till Modalabare gudda and touches to Meginivalley Reserved Forest boundary. The line then runs along the boundary of Meginivalley Reserved Forest towards Eastern direction The line then moves North along Karni Reserved Forest boundary to meet 1Km parallel line to Meginivalley Reserved Forest in the village Kadanavalli. From this point Eco-sensitive Zone line follows 1km parallel line to Meginivalley Reserved Forest boundary towards East and reaches Marati village boundary. Then it runs along 1km parallel line with the Kodachadri Reserved Forest boundary and reaches Honnarmagne Reserved Forest boundary line near the locality Ikkibil, SS Bhoga village. Then the Eco-Sensitive Zone boundary line runs towards East along with Honnarmagne Reserved Forest boundary, and touches to Mavinagudda, Nittur village. Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs South-East along 1km parallel line to Kodachadri Reserved Forest and passes through Adugodu, Nittur village. Then the line runs South-West and reaches Marakatak hole at Kenemakki gudda, Manjagalale village. Further the line runs South-East along 1km parallel to the Chakra Reserved Forest boundary in Kattinahole Village. Then the line traverses East along 1Km parallel line to Kilandoor Reserved Forest boundary and reaches Mattikai Reserved Forest boundary. Then the line traverses along the Mattikai Reserved Forest boundary and touches Baise State Forest boundary near Samgodu, Bhramhanavada village.
East :	Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs along the Baise State Forest boundary then Eco-sensitive Zone line follows 1Km parallel line to the Kilandur Reserved Forest boundary in the village Malali. Then it runs North passing through Nilsakal, Karimane village. Further the line traverses South-East along 1Km parallel line to the Kilandaur Reserved Forest by passing through Karimane village, and reaches to Nagar-Mastikatte roadat Mastikatte. Then the line traverses South-West along 1Km parallel line to Hulikal State Forest and reaches Hulikal hole. Then the line runs South-East along the Manibyl Dam road and reaches Varahi State Forest boundary. And the line continues along the Varahi State Forest boundary till joins to the Eco-sensitive Zone boundary line of Someshwara Wildlife Sanctuary.
South :	The Eco-sensitive Zone line merges with the Tambottu Reserved Forest boundary of Someshwara wildlife sanctuary till it touches Western Eco-sensitive Zone line of Someshwara wildlife sanctuary. Then the Eo-sensitive Zone boundary line follows west along 1km parallel line to the Metkal gudde Reserved Forest boundary and touches to Suraladavi Reserved Forest boundary in Ulluru 74 village. And runs along the Suraladavi Reserved Forest boundary. Then the line continues along 1km parallel line to the Metkalgudde Reserved Forest boundary North-East direction by passing through Siddapura village and touches the Dottinaberu Reserved Forest boundary. And runs along with Dottinaberu Reserved Forest boundary and reaches Hennabyl, Siddapur village. Then it runs along 1km. parallel line to the Metkal gudde Reserved Forest boundary North-East and reaches to Kerekatte, hosangadi village. Then again the line traverses towards North-East and touches Doddinamane Reserved Forest boundary.

	Further the line traverses along the Doddinamane Reserved Forest boundary and crosses Siddapur Ajri road near Beluvan, Ajri village. Then the line continues west along 1km parallel line to Baregundi Reserved Forest boundary in Ajri village. And passes through Kodladi village. Then the line runs along 1 km. parallel line to Harmanupare Reserved Forest boundary and touches Kamradi Hole Reserved Forest boundary, at locality of Hemmakki hara. Then Eco-Sensitive Zone boundary line runs along the Kamradihole Reserved Forest boundary and Hemmakki-Neralekatte road then touches the Mavinaguli Reserved Forest boundary in Karkunje village. Further the line runs along the Mavinaguli Reserved Forest boundary in Neralakatte village and touches Kundapura- Kollur road near Nempu Vandse village.
West :	Then Eco-sensitive Zone boundary line runs North-West and touches the Kasanakatte Reserved Forest boundary line near Adikekodlu in Vandse village and continues to runs along the Reserved Forest boundary. Further the line runs towards west along 1km parallel line to the Abbigudde Reserved Forest boundary and touches Mudarigudde Reserved Forest boundary near Panjurligudi and runs along the mud arigudda Reserved Forest boundary. Further the line traverses along 1km parallel line to the Abbigudde Reserved Forest boundary towards North and touches Harkur Reserved Forest near Kodagi. Then the line runs along the Harkur Reserved Forest boundary and touches Aloor, Aloor village. Further the line traverses towards North-East along 1Km parallel line to the Abbigudde Reserved Forest boundary and touches Heroor Reserved Forest boundary by crossing the Kolluru river near the locality Mavinaguli. Then line continues to run along the Herur Reserved Forest boundary in Herur village and run towards North and touches Hulimisepare Reserved Forest boundary near Hitlamane. Further the Eco-sensitive Zone boundary line runs along the Hulimisepare Reserved Forest boundary by passing Kalthodu village and touches to the Kollur Baindoor road at Areshirur, Golihole village. Then the line runs North-West along 1Km parallal line to the Kortikalbare boundary in Golihole and Yelajith village and meets Guruvankote Reserved Forest boundary near Kambali locality. The line then runs along the Guruvankote Reserved Forest boundary line then it meets along 1 km. parallel to the Korathikal bare Reserved Forest and Hulilmurdibare Reserved Forest boundary by passing through Theggarse village, Baindoor village and yedthere village. The line then touches Kadike Reserved Forest boundary line near Kadike Yedthare village. And then runs along the boundary line of Kadike Reserved Forest in the village Yedthare and touches Savantgudde Reserved Forest boundary at Hadiginagadde locality and run continues to along the boundary of Savantagudde Reserved Forest boundary. Then touches the Nuz Reserved Forest boundary by crossing the Sankadagundi river and runs along its boundary. Then the Line touches the Starting Point.

ANNEXURE-II

Details of the villages falling within the Eco-sensitive Zone of Mookambika Wildlife Sanctuary.

Sl. No.	Name of the village	District	Taluk	Area in Ha.	Latitude			Longitude		
					Deg	Mins	Secs	Deg	Mins	Secs
1	Karni	Shivamogga	Sagar	23.65	74	46	26.95	13	55	4.05
1A	Kodanavalli	Shivamogga	Sagar	477.80	74	47	8.05	13	55	14.70
2	Marati	Shivamogga	Sagar	681.95	74	48	52.89	13	54	51.13
3	Koteshipur	Shivamogga	Hosanagara	233.63	74	52	2.86	13	54	49.63
4	Nagodi	Shivamogga	Hosanagara	409.70	74	52	23.53	13	54	27.30
4A	Manjagalale	Shivamogga	Hosanagara	590.23	74	54	2.43	13	53	43.94
5	Kattinahole	Shivamogga	Hosanagara	614.42	74	55	10.25	13	52	13.51
6	Mattikai	Shivamogga	Hosanagara	407.73	74	57	19.37	13	51	40.38
6A	Hosur	Shivamogga	Hosanagara	45.50	74	57	31.61	13	52	27.18
7	Brahmanavada	Shivamogga	Hosanagara	309.19	74	58	37.04	13	49	19.40
8	Kilandur Jungle	Shivamogga	Hosanagara	155.54	74	58	32.68	13	48	24.41
9	Byse	Shivamogga	Hosanagara	57.73	74	58	39.31	13	49	29.10

10	Malali	Shivamogga	Hosanagara	318.98	74	59	29.61	13	47	52.13
11	Karimane	Shivamogga	Hosanagara	800.06	75	0	11.37	13	45	49.14
12	Khyrugunda	Shivamogga	Hosanagara	422.73	75	1	3.66	13	44	36.66
13	Nidagodu	Shivamogga	Hosanagara	272.83	75	1	2.75	13	43	27.30
14	Hosangadi	Udupi	Kundapura	1036.50	74	57	21.58	13	41	21.50
15	Machattu	Udupi	Kundapura	95.78	74	57	50.87	13	40	2.82
16	Ulluru	Udupi	Kundapura	232.79	74	55	50.28	13	38	33.42
17	Siddapur	Udupi	Kundapura	530.75	74	55	37.69	13	39	57.39
18	Yedamoge	Udupi	Kundapura	1109.20	74	56	48.61	13	43	33.27
19	Halihole	Udupi	Kundapura	28.29	74	56	41.55	13	44	22.46
20	Bellal	Udupi	Kundapura	468.38	74	53	51.39	13	42	50.62
21	Ajri	Udupi	Kundapura	1031.77	74	52	30.38	13	41	47.03
22	Kodladi	Udupi	Kundapura	315.91	74	49	29.56	13	41	11.40
23	Karkunje	Udupi	Kundapura	613.38	74	47	3.06	13	41	40.59
24	Chittur	Udupi	Kundapura	21.06	74	46	56.66	13	42	1.45
25	Vandse	Udupi	Kundapura	210.07	74	45	17.63	13	42	28.87
26	Nujadi	Udupi	Kundapura	393.34	74	44	2.58	13	43	34.15
27	Harkur	Udupi	Kundapura	313.91	74	42	39.90	13	44	10.52
28	Aluru	Udupi	Kundapura	446.60	74	44	10.77	13	45	5.67
29	Kaltodu	Udupi	Kundapura	662.84	74	44	28.73	13	47	8.81
29A	Navunda	Udupi	Kundapura	6.39	74	43	21.67	13	46	30.14
30	Golihole	Udupi	Kundapura	2121.76	74	45	42.97	13	49	6.22
31	Jadkal	Udupi	Kundapura	200.78	74	48	12.81	13	49	15.76
32	Kollur	Udupi	Kundapura	10.08	74	48	4.09	13	49	30.42
33	Yelajita	Udupi	Kundapura	871.87	74	42	15.51	13	51	34.00
34	Mudinagadde	Udupi	Kundapura	144.86	74	41	20.30	13	53	32.20
35	Nukiadi	Udupi	Kundapura	8.71	74	40	54.39	13	53	46.24
36	Keretur	Udupi	Kundapura	1041.76	74	40	36.02	13	55	18.26
37	Hosur	Udupi	Kundapura	591.25	74	39	28.21	13	56	47.81
				18329.69						

List of Reserved Forests falling within the Eco-sensitive Zone of Mookambika Wildlife Sanctuary

Map Id	Name of the Reserved Forests	Area in ha	G.O / Notification
A	Kudarur Reserve Forest	307.61	
B	Honnar Magane Reserve Forest	682.55	No 354 12.08.1989
C	Mattikal Reserve Forest	1111.68	AHFF 162 FAF 88/13.09.1994
D	Reserve Forest	191.28	
E	Reserve Forest	26.77	
E	Varahi State Forest	475.51	R 5638-41 Ft 39-16-4/05.12.1916
F	Doddinamane Reserve Forest	1209.05	G.O.No 287 Dated 06.12.1899
G	Dottinaberu Reserve Forest	164.95	G.O.No 445 Dated 13.08.1998
H	Suralavadi Reserve Forest	240.89	G.O.No 1020 Dated 06.12.1987
I	Mavinagulli Reserve Forest	416.31	G.O.No 508 Dated 01.09.1898
J	Kamaradihole Reserve Forest	283.14	G.O.No623 dated 27.10.1898
K	Kasankai Reserve Forest	98.88	G.O.No 1181 Dated 28.11.1892
L	Mudarigude Reserve Forest	139.46	G.O.No 522 Dated 10.10.1896
M	Harkuru Reserve Forest	342.56	G.O.No 14 Dated 10.01.1893
N	Gundaber pare Reserve Forest	1130.00	274 Rev, dated : 05-04-1893
O	Hulimishe Reserve Forest	739.24	G.O.No 490 dated 29.08.1896
P	Guruvankote Reserve Forest	618.34	G.O.No 3356 dated 17.11.1913
Q	Kadike Reserve Forest	629.60	G.O.No 230 Dated 04.06.1896
R	Kurandur Reserve Forest	4849.80	
		13657.62	

ANNEXURE-III

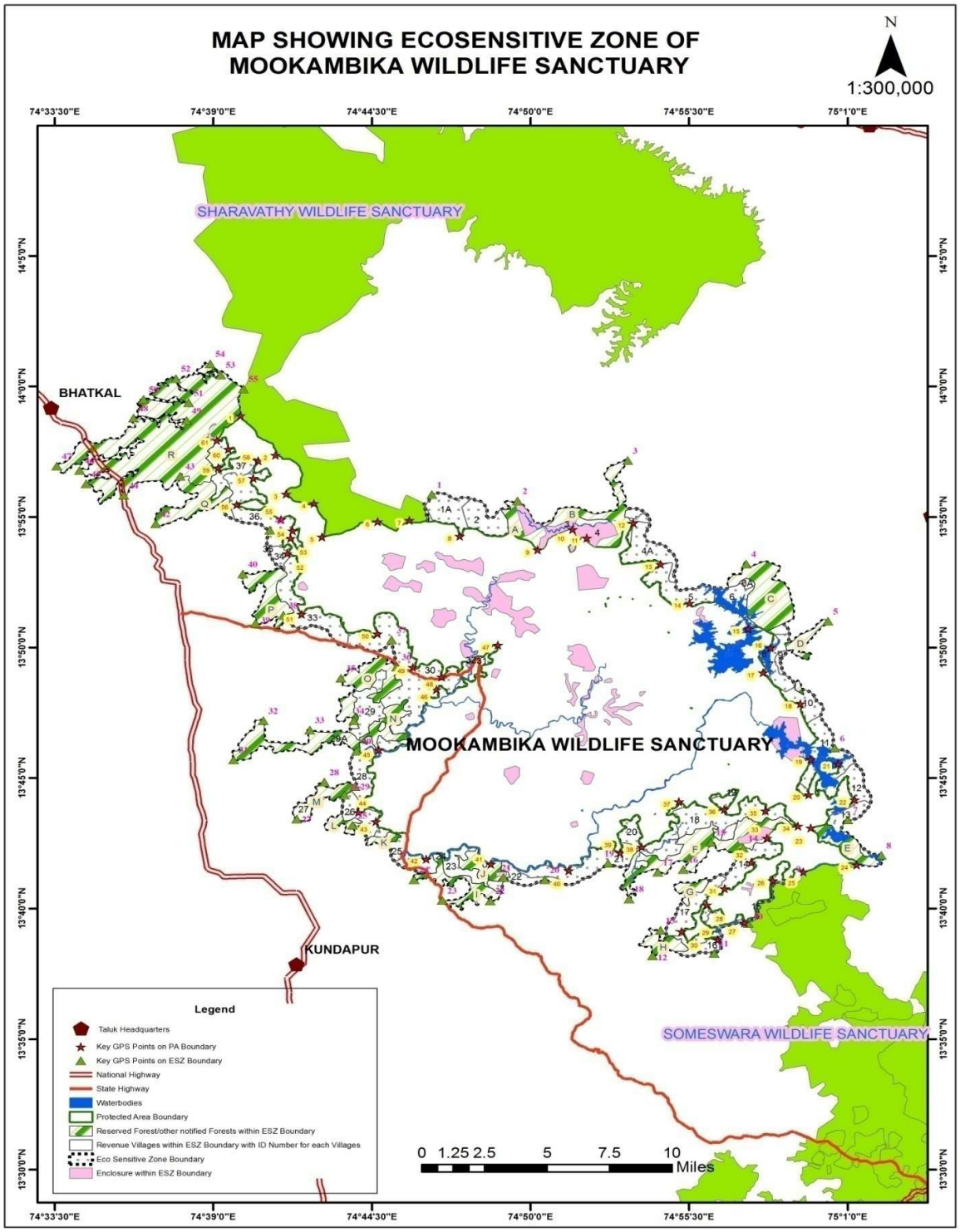

ANNEXURE-IV

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Eco-sensitive Zone around Mookambika Wildlife Sanctuary.

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	74	46	35.52	13	55	51.12
2	74	49	33.78	13	55	36.59
3	74	53	22.85	13	57	9.58
4	74	57	29.28	13	53	11.92
5	75	0	19.88	13	51	0.17
6	75	0	34.03	13	46	8.54
7	75	1	1.38	13	43	23.64
8	75	2	10.51	13	42	1.74
9	74	59	2.52	13	41	7.66
10	74	57	33.60	13	39	25.31
11	74	56	22.95	13	38	16.63
12	74	54	14.86	13	38	11.27
13	74	54	31.38	13	39	9.03
14	74	57	23.40	13	42	18.61
15	74	56	15.92	13	42	31.73
16	74	55	19.05	13	41	29.11
17	74	54	25.56	13	41	22.84
18	74	53	25.78	13	40	21.66
19	74	52	42.13	13	41	43.21
20	74	50	30.00	13	41	5.67
21	74	49	4.66	13	41	10.89
22	74	48	36.93	13	40	17.20
23	74	46	56.61	13	40	18.09
24	74	45	58.36	13	41	6.14
25	74	43	50.04	13	43	10.75
26	74	43	33.42	13	44	20.53
27	74	41	54.18	13	43	25.18
28	74	42	51.18	13	44	50.27
29	74	43	55.32	13	44	39.87
30	74	43	58.80	13	46	1.97
31	74	39	42.55	13	45	41.59
32	74	40	44.73	13	47	11.29
33	74	42	21.32	13	46	50.09
34	74	43	52.98	13	47	11.50
35	74	43	25.79	13	48	49.22
36	74	45	22.04	13	49	14.96
37	74	45	11.49	13	50	17.07
38	74	41	26.45	13	51	13.69
39	74	40	28.62	13	50	55.15
40	74	40	1.82	13	52	48.62

41	74	40	58.28	13	54	29.32
42	74	37	0.80	13	54	43.90
43	74	37	51.15	13	56	33.45
44	74	35	54.17	13	55	49.67
45	74	34	35.72	13	56	15.84
46	74	34	22.11	13	56	46.59
47	74	33	34.39	13	56	56.90
48	74	36	14.59	13	58	46.85
49	74	38	4.90	13	58	41.37
50	74	36	35.39	13	59	30.54
51	74	38	8.85	13	59	22.02
52	74	37	42.70	14	0	17.82
53	74	39	15.51	14	0	26.40
54	74	38	53.78	14	0	51.78
55	74	40	3.20	13	59	54.34

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Mookambika Wildlife Sanctuary.

	Longitude			**Latitude**		
Map ID	**Degree**	**Minutes**	**Seconds**	**Degree**	**Minutes**	**Seconds**
1	74	39	56.70	13	58	53.09
2	74	41	9.86	13	57	22.40
3	74	41	31.77	13	55	53.18
4	74	42	30.13	13	55	31.53
5	74	42	46.72	13	54	14.54
6	74	44	42.55	13	54	49.42
7	74	45	48.48	13	54	52.68
8	74	47	33.49	13	54	16.52
9	74	50	15.47	13	53	44.80
10	74	51	28.42	13	54	31.67
11	74	51	57.56	13	54	11.78
12	74	53	34.89	13	54	46.74
13	74	54	31.25	13	53	11.38
14	74	55	31.62	13	51	42.46
15	74	57	33.87	13	50	43.11
16	74	58	19.96	13	49	58.97
17	74	58	4.52	13	49	2.53
18	74	59	22.39	13	47	51.20
19	74	59	43.81	13	45	43.26
20	74	59	39.45	13	44	21.95
21	75	0	41.41	13	45	33.03
22	75	1	15.28	13	44	10.25
23	74	59	44.03	13	43	5.20
24	75	1	19.34	13	41	40.27
25	74	59	28.60	13	41	24.17
26	74	58	25.13	13	41	4.50

27	74	57	25.66	13	39	26.93
28	74	56	7.77	13	40	8.38
29	74	56	30.27	13	38	48.37
30	74	55	14.88	13	39	7.50
31	74	56	44.65	13	40	46.12
32	74	57	40.21	13	41	45.72
33	74	58	12.49	13	42	42.28
34	74	59	17.77	13	43	9.61
35	74	58	9.45	13	43	44.69
36	74	56	43.81	13	43	48.34
37	74	55	9.48	13	44	5.86
38	74	53	52.06	13	42	21.56
39	74	53	6.62	13	42	8.17
40	74	51	20.39	13	41	27.23
41	74	48	38.05	13	41	42.21
42	74	46	23.41	13	41	54.03
43	74	44	38.68	13	43	20.54
44	74	44	2.24	13	43	41.02
45	74	44	44.78	13	46	4.88
46	74	46	44.49	13	48	23.74
47	74	48	52.59	13	50	5.97
48	74	46	55.64	13	48	52.71
49	74	45	56.04	13	49	14.67
50	74	44	41.84	13	50	31.88
51	74	42	4.26	13	51	17.10
52	74	41	34.45	13	53	36.04
53	74	41	41.32	13	54	11.29
54	74	41	45.52	13	54	28.45
55	74	41	21.42	13	54	54.60
56	74	39	49.17	13	55	28.67
57	74	40	23.71	13	56	29.36
58	74	40	34.14	13	57	9.71
59	74	39	10.64	13	56	53.58
60	74	39	31.90	13	57	36.49
61	74	39	7.65	13	57	56.71

ANNEXURE – V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: [Details may be attached as Annexure]

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:

   [Details may be attached as separate Annexure]

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:

   [Details may be attached as separate Annexure]

7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:

8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.20 13:37:22 +05'30'